

विषय :

डब्ल्यू पी 21296/2015 मेसर्स जे.टी.ई.जी.सी.-  
ए.पी.आर.सी.एल.(जेव्ही) विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन  
एवं अन्य ।

पूर्व पृष्ठ से:-

पंजी क्र 231 दि.25.01.2016

p. 231/c

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन हो।

मुख्य अभियंता, अपर नर्मदा जोन जबलपुर द्वारा  
माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर प्रकरण क्रमांक  
डब्ल्यू पी 21296/2015 मेसर्स जे.टी.ई.जी.सी.-  
ए.पी.आर.सी.एल.(जेव्ही) में कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास  
संभाग कटनी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने का  
अनुरोध किया गया है।

2/- ठेकेदार से संबंधित अन्य प्रकरणों में श्री ए.के. खरे,  
संयुक्त संचालक, कार्यालय आयुक्त (पुनर्वास/फील्ड)  
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर को प्रभारी अधिकारी  
बनाया गया है।

3/- अतः इस प्रकरण में किस अधिकारी को प्रभारी  
अधिकारी नियुक्त किया जाना है, इस संबंध में कृपया  
आदेश प्रार्थित है।

कृपया आदेशार्थ।

अ.अ.

अवर सचिव

श्री ए.के. खरे को प्रभारी

अधिकारी नियुक्त किया जाना

उचित होगा।

कृपया आदेशार्थ।

Sri.  
25-1-16

उपसचिव (शिवकाशपर)

अपर मुख्य सचिव

(एस.के.बघेल)  
अवर सचिव

नर्मदा घाटी विकास विभाग

Additional Chief Secretary  
Govt. Of M.P.  
Narmada Valley Dev. Department  
Mantralaya, Bhopal.

DS (04)

25/1

02  
29/1

25/1

को



२

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

एफ 18-22/2016/सत्ताईस-एक

डब्ल्यू पी 21296/2015 मेसर्स जे.टी.ई.जी.सी.-  
ए.पी.आर.सी.एल.(जेव्ही) विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन  
एवं अन्य ।

पूर्व पृष्ठ से:-

-0-

पूर्व पृष्ठीय अनुमोदन पश्चात आदेश का  
प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

~~आ.आ.~~~~अ.अ. तलिव~~अ.अ.

मि.वि.  
3/2/16

अ.अ.  
3/2/16

3/1/1

उपरोक्ता कुल स्वच्छ जलियां इलाकापर  
प्रस्तुत ।

प्रस्तुत ।

~~आ.आ.~~~~अ.अ. तलिव~~अ.अ.

मि.वि.  
11/2/16

अ.अ.  
11/2

11/2

जामक क्र. 457, 458 /XXVB  
दिनांक 01-02-16

जा 102  
11/2



छब्बीस-२ सचिवालय

एफ 18-22/2016/सत्ताईस-एक

मंत्री  
जघोपाई  
का विभाग

विषय :

डब्ल्यू पी 21296/2015 मेसर्स जे.टी.ई.जी.सी.-  
ए.पी.आर.सी.एल.(जेव्ही) विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन  
एवं अन्य ।

पूर्व पृष्ठ से:-

विषयांकित प्रकरण में दिनांक 11/2/2016 के  
प्रभारी अधिकारी की रिपोर्ट की जा चुकी  
है। मध्य प्रदेश की कार्यवाही हेतु नती  
विश्व विभाग को आदेश दिया जा रहा है।

2/2

~~अवर सचिव~~

2-2-16

4025

~~अवर सचिव~~

विधि विभाग को संकेत

किया जा रहा है।

उपसचिव (आवकाश पर)

*[Signature]*  
(एस.के.बघेल)  
अवर सचिव  
नर्मदा घाटी विकास विभाग

अवर मुख्य सचिव

146  
4.2.16

Additional Chief Secretary  
Govt. Of M.P.  
'armada Valley Dev. Department'  
Mandla, Bhopal.

L1

10-10-96/16/27  
25-8-16

प्रशासकीय विभाग की तरफ से लौटते हुए नस्ती पर  
मा. उच्च न्यायालय को नोबिल नहीं है। एवं रिट प्रार्थना  
की प्रति में क्रमांक अंकित नहीं है। प्रमाणों के बिना  
पर ही प्रतिरक्षा आदेश जारी किया जाना संभव होगा।

*[Signature]*  
(रजनी बंधोसी)  
अवर सचिव  
विधि विभाग

नर्मदा घाटी विकास  
विभाग।

*[Signature]*

का मोहन  
8-2-16

9/10/16  
10/10/16

*[Signature]*  
10/2

2694  
10/2/16

02  
11/2



विषय :

एफ 18-22/2016/सत्ताईस-एक

M  
NVDP  
का विभाग

डब्ल्यू पी 21296/2015 मेसर्स जे.टी.ई.जी.सी.-  
ए.पी.आर.सी.एल.(जेव्ही) विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन  
एवं अन्य ।

पूर्व पृष्ठ से:-

पूर्व पृष्ठीय टीप 3/एन के संदर्भ में नस्ती प्रतिरक्षण  
की कार्यवाही हेतु विधि विभाग को अंकित की गई थी  
विधि विभाग द्वारा निम्न टीप अंकित कर नस्ती वापिस  
लौटाई है।

माननीय उच्च न्यायालय का नोटिस नहीं है एवं रिट  
याचिका की प्रति में क्रमांक अंकित नहीं है। क्रमांक एवं  
नोटिस उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है।

3/- अतः मान्य हो तो विधि विभाग द्वारा अंकित टीप के  
संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण के प्रभारी  
अधिकारी को लिखा जाना उचित होगा।

अ.अ.

~~रुद्र सचिव~~ मुंशी के लिखित  
प्रभारी अधिकारी के सुझावित  
करे।

12-2-16  
12/2

अ.अ.  
02/15/2

प्राप्त १३ फरवरी २०१६

~~रुद्र सचिव~~  
अ.अ.

17/2/16  
17/2

02/18/2

6

M  
NVDP  
का विभाग

एफ 18-22/2016/सत्ताईस-एक

छब्बीस-२ सौंचवालय

विषय : प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी 21296/2015- मेसर्स  
जे.टी. ई.जी.सी ए.पी.आर.सी.एल(जेव्ही) विरुद्ध  
मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य।

पूर्व पृष्ठ से:-

—0—

स्वच्छ उतियां हस्तासार्ध उत्तुता

18/2

अ.प.क.

अवल ललित

18-2-16

Alaghi  
18/2

अ.प.क.

अ.प.क.  
18/2

जावक क्र. 787,788 /XXVII  
दिनांक 18-02-16



विषय:

एफ 18-22/2016/सत्ताईस-एक

प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी 21296/2015- मेसर्स  
जे.टी. ई.जी.सी ए.पी.आर.सी.एल(जेव्ही) विरुद्ध  
मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य।

M  
NODH  
का विभाग

पूर्व पृष्ठ से:-

पंजी क्र 776 दि.09.03.2016

p-38/C

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन हो।

2/- विभागीय पत्र दिनांक 18.02.2016 के तारतम्य में  
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कटनी द्वारा माननीय  
उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त नोटिस एवं रिट याचिका  
क्रमांक क्रमांक 21296/2015 की प्रति संलग्न कर भेजी है,  
जो पृष्ठ 39-73 /सी पर स्थित है।

3/- अतः विधि विभाग की टीप 3/एन के परिप्रेक्ष्य में  
प्रतिरक्षण की कार्यवाही हेतु नस्ती विधि एवं विधायी कार्य  
विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

अ.अ. (अवकाश पत्र)

अवकाश सचिव

उपसचिव

विधि विभाग

(एस.के.वर्मा) 3  
अवर सचिव  
नर्मदा घाटी विकास विभाग

11-376  
(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं गृह

776/1  
(अमिताभ मिश्र)  
अति-सचिव  
विधि विभाग

प्रतिरक्षण आवेदन जारी कर प्रतिनस्ती  
पर रखी है।

नर्मदा घाटी विकास विभाग

उप.नो.249/2016/27  
14-03-2016  
सा.ए.